सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
आश्विन 15, बुधवार, शाके 1942–अक्टूबर 7, 2020 *Asvina 15, Wednesday, Saka 1942–October 7, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग (ग्रुप-2) विभाग

आदेश

जयपुर, अगस्त 8, 2019

संख्या प.1(16)उद्योग/ग्रुप-2/2018 :-भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 की धारा 21 में निहित प्रावधान के अनुसरण में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतानो के प्रकरणो के निस्तारण हेतु राज्य में 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, जयपुर (प्रथम)**

क्षेत्राधिकार:- आयुक्त उद्योग द्वारा आवंटित जयपुर जिले से संबंधित प्रकरण

मुख्यालय:- कार्यालय आयुक्त, उद्योग

संरचना:-

आयुक्त, उद्योग राजस्थान जयपुर	अध्यक्ष	स्थाई
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (प्रथम)	सदस्य (1)	स्थाई
समन्वयक राज्य स्तरीय बैकर्स समिति जयपुर (Bank of Baroda)	सदस्य (1)	स्थाई
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघो के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

2. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, जयपुर (द्वितीय)**

क्षेत्राधिकार:- आयुक्त उद्योग द्वारा आवंटित जयपुर जिले से संबंधित प्रकरण

मुख्यालय:- कार्यालय आयुक्त, उद्योग

संरचना:-

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (द्वितीय) राजस्थान जयपुर	अध्यक्ष	स्थाई
संयुक्त निदेशक, उद्योग (प्रथम)	सदस्य (1)	स्थाई
समन्वयक राज्य स्तरीय बैकर्स समिति द्वारा नामित बैंक अधिकारी, जो स्केल 6 से नीचे का नहीं होगा	सदस्य (1)	स्थाई
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघो के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

3. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, जयपुर (तृतीय)**

क्षेत्राधिकार:- जयपुर जिले को छोडकर शेष जयपुर संभाग के जिले एवं कोटा, भरतपुर एवं

अजमेर संभाग

मुख्यालय:- कार्यालय आयुक्त, उद्योग

संरचना:-

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (तृतीय) राजस्थान जयपुर	अध्यक्ष	स्थाई
संयुक्त निदेशक, उद्योग (द्वितीय)	सदस्य (1)	स्थाई
समन्वयक राज्य स्तरीय बैकर्स समिति द्वारा नामित बैंक अधिकारी, जो सकेल 6 से नीचे का नहीं होगा	सदस्य (1)	स्थाई
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघो के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

4. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, जोधपुर

क्षेत्राधिकार:- जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग।

मुख्यालय:- जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर।

संरचना:-

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (प्रथम) राजस्थान जयपुर	अध्यक्ष	स्थाई
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर	सदस्य (1)	स्थाई
शीर्ष बैंक अधिकारी, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति, जोधपुर	सदस्य (1)	स्थाई
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संघो के दो प्रतिनिधि या पदाधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य (2)	दो वर्ष के लिए नामित

राज्यपाल की आज्ञा से,
उर्मिला राजोरिया,
विशिष्ट शासन सचिव ।

Government Central Press, Jaipur.